



Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

क्र./एम.एड.प्रवेश/2013-14/ 1284 रायपुर, दिनांक 03.04.2013

प्रति,

प्राचार्य,

1. शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर
2. उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान, बिलासपुर
3. कल्याण महाविद्यालय, सेक्टर-7, भिलाई

विषय :- एम.एड.प्रवेश सत्र 2013-14 बाबत ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान बिलासपुर, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर एवं कल्याण महाविद्यालय, भिलाईनगर में एम.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2013-14 हेतु प्रवेश नियम आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है ।

विवरणिका के अनुसार चयन समिति का गठन कर एम.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करें एवं परिषद् को अवगत करावें। अध्यापन कार्य दिनांक 17.06.13 से अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।

संलग्न :- एम.एड.प्रवेश नियम एवं आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति ।


(अमिल राय)
संचालक

एस.सी.ई.आर.टी.छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ.क्र./एम.एड.प्रवेश/2013-14/ 1285 रायपुर, दिनांक 03.04.2013
प्रतिलिपि:

1. सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
3. आयुक्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पं.रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर।
4. संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर।
5. संचालक, नगरीय नियोजन विभाग, रायपुर।


(अमिल राय)
संचालक

एस.सी.ई.आर.टी.छत्तीसगढ़ रायपुर



एम.एड. 2013-14 हेतु प्रवेश नियम

1. उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान (IASE) बिलासपुर (शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर) शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर एवं कल्याण महाविद्यालय, भिलाईनगर में शैक्षिक सत्र 2013-14 में एम.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रवेश हेतु निम्नांकित वर्गों के आवेदक आवेदन कर सकते हैं :-

(अ) स्कूल शिक्षा विभाग की शालाओं/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत प्राचार्य/व्याख्याता/उच्च श्रेणी शिक्षक, समकक्ष वर्ग के अन्य कार्यरत पदाधिकारी, (सहायक संचालक/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक शाला एवं उच्चतर माध्यमिक व पूर्व माध्यमिक शालाओं में कार्यरत व्याख्याता (पंचायत) तथा शिक्षक (पंचायत) तथा प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला।

(ब) आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की शालाओं के प्राचार्य/व्याख्याता/उच्च श्रेणी शिक्षक, समकक्ष वर्ग के अन्य कार्यरत पदाधिकारी (सहायक संचालक/विकासखंड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला एवं उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कार्यरत व्याख्याता (पंचायत) तथा शिक्षक (पंचायत) तथा प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला।

(स) अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शालाओं में पदस्थ प्राचार्य/व्याख्याता/उच्च श्रेणी शिक्षक।

(द) सीधी भर्ती हेतु पात्रताधारी आवेदक (जो सेवा में नहीं है)।

2. निर्धारित स्थान:-

संस्था का नाम	स्कूल शिक्षा विभाग	आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	अशासकीय संस्था (अनुदान प्राप्त)	सीधी भर्ती	कुल योग
	प्राचार्य/व्याख्याता/ व्याख्याता (पंचायत)/ प्र.पा.पूर्व.मा.शा./ उ.श्रे.शि./ शिक्षक (पंचायत) / प्र.पा.प्रा. शा.	प्राचार्य/व्याख्याता/ व्याख्याता (पंचायत)/ प्र.पा.पूर्व.मा.शा./ उ.श्रे.शि./ शिक्षक (पंचायत)/ प्र.पा.प्रा. शा.	प्राचार्य/ व्याख्याता / शिक्षक		
1. शास.शि.महा.रायपुर	15	13	3	04	35
2. उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान, बिलासपुर	15	13	3	04	35
3. कल्याण महावि. सेक्टर-6, भिलाईनगर	—	—	—	35	35
कुल योग	30	26	06	43	105

टीपः

- I. क्रमांक 01 (अ) तथा 01 (ब) के अनुसार वरीयता क्रम में प्राचार्य/व्याख्याता/व्याख्याता (पंचायत)/प्रधान पाठक. पूर्व.मा.शा./उ.श्रे.शि./शिक्षक (पंचायत)/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला का चयन किया जायेगा।
 - II. 01(स) के अनुसार छत्तीसगढ़ के अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं के प्राचार्यों, व्याख्याताओं, उच्च श्रेणी शिक्षकों तथा समकक्ष वर्ग में कार्यरत अन्य पदाधिकारियों के लिए दोनों शासकीय महाविद्यालय में तीन-तीन स्थान निर्धारित है। पात्र आवेदकों के आवेदन निर्धारित संख्या में उपलब्ध न होने पर रिक्त पद सीधी भर्ती वाले आवेदकों से भरे जायेंगे।
 - III. शिक्षा विभाग/आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हेतु निर्धारित सीटों का पदवार बंटवारा पूर्ववह रहेगा।
3. न्यूनतम अर्हताएँ: उपरोक्त वर्ग 'अ', 'ब', 'स' के लिए—
- 1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
 - 2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की बी.एड. परीक्षा सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक सम्मिलित रूप से कम से कम 55 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण आवेदक एम.एड. प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
 - 3) बी.एड. की परीक्षा दो वर्ष या उससे पूर्व उत्तीर्ण की हो।
 - 4) आवेदक की आयु दिनांक 01.07.13 को 55 वर्ष से अधिक न हो।
 - 5) पत्राचार पाठ्यक्रम के बी.एड. उपाधि प्राप्त करने वाले भी एम.एड. में आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
4. न्यूनतम अर्हताएँ उपरोक्त वर्ग 'द' के लिए :—
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की बी.एड. परीक्षा सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक खण्डों में सम्मिलित रूप से कम से कम 55 प्रतिशत अंक हो अर्थात् बी.एड. 55 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण आवेदक एम.एड. प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
 2. पत्राचार पाठ्यक्रम से बी.एड. उपाधि प्राप्त करने वाले भी आवेदन कर सकेंगे।
 3. बी.एड. परीक्षा दो वर्ष या उससे पूर्व उत्तीर्ण होने का बंधन इस वर्ग के लिए नहीं होगा।
 4. आवेदक की आयु शासन द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अनुसार मान्य होगी।
 5. आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।
 6. आचरण प्रमाण—पत्र अंतिम संस्था के प्राचार्य का प्रस्तुत किया जाना होगा।
5. प्रवेश हेतु शर्तें :—
1. स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं के आवेदकों का चयन प्रत्येक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय के द्वारा अपने संबंधित क्षेत्र में वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। आवेदकों को अपनी वरिष्ठता संबंधी जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। व्याख्याता (पंचायत) व शिक्षक (पंचायत) को प्रथम नियुक्ति का आदेश, प्रथम नियुक्ति का दिनांक (पदभार ग्रहण करने का दिवस) के सत्यापन हेतु सेवा पुस्तिका की छायाप्रति तथा पदोन्नति होने की स्थिति में उनके आदेश की प्रति आवेदन में संलग्न करना होगा। इसके अभाव में आवेदन निरस्त किये जायेंगे।
 2. उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान (IASE) बिलासपुर में स्कूल शिक्षा विभाग के चयन किये गये आवेदकों को प्रशिक्षण अवधि में कार्यरत मानकर नियमानुसार वेतन दिया जावेगा लेकिन शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर में एम.एड. के चयनित छात्राध्यापकों हेतु वेतन व्यवस्था पूर्व संस्था से

ही की जाएगी। व्याख्याता (पंचायत) व शिक्षक (पंचायत) की वेतन व्यवस्था पूर्ववत् यथावत् रहेगी।

3. आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के चयनित आवेदकों के वेतन आदि की व्यवस्था उनके विभाग द्वारा पूर्व वर्षों की भांति ही की जाएगी। व्याख्याता (पंचायत) व शिक्षक (पंचायत) की वेतन व्यवस्था पूर्ववत् यथावत् ही रहेगी।

4. (क) अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं के आवेदकों को संस्था की प्रबंध समिति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण काल में आवेदकों को अध्ययन अवकाश तथा पूरा वेतन दिया जावेगा।

(ख) अनुदान प्राप्त शालाओं से प्रशिक्षण में भेजे गये प्राचार्यों/व्याख्याताओं शिक्षक के स्थान पर यदि कोई स्थानापन्न नियुक्ति की जाती है, तब उक्त संस्था द्वारा इस नियुक्ति हेतु पृथक से अनुदान की मांग नहीं की जायेगी। प्रशिक्षण पश्चात् शिक्षक को कम से कम दो वर्ष की सेवा उसी संस्था में देनी होगी।

5. आवेदकों के लिए किसी प्रकार की छात्रवृत्ति का प्रावधान नहीं होगा।

6. चयनित समस्त आवेदकों को संबंधित शिक्षा महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के नियमानुसार शुल्क आदि का भुगतान करना होगा।

7. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. प्रवेश लेने के उपरांत एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण की मांग नहीं की जावेगी।

9. चयन होने एवं प्रवेश न लेने अथवा प्रशिक्षण बीच में छोड़ देने पर आगामी दो वर्षों तक आवेदकों को चयन हेतु अपात्र माना जावेगा।

10. सीधी भर्ती के स्थानों में नियमानुसार अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ी जाति के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। महिलाएँ/विकलांग/विधवा/परित्यक्ता भूतपूर्व सैनिक एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पाल्यों के लिए आरक्षित स्थान शासन के नियमानुसार रहेंगे। आरक्षित वर्ग के पात्र आवेदकों के उपलब्ध नहीं होने पर रिक्त स्थान की पूर्ति छ.ग.बी.एड.प्रवेश नियम के अनुसार सीटों को परस्पर परिवर्तन कर प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। 4 सीट्स के लिए सीटों का आबंटन निम्नानुसार किया जाये :-

	ST	SC	OBC	UR	कुल सीट्स
	32% (1.28)	12% (.48)	14% (.56)	(1.68)	04
यदि सत्र 2013-14 तो	1	1	—	2	4
अगले सत्र 2014-15 में	1	—	1	2	4

(नोट – उपरोक्त सीटों में से किसी भी संवर्ग की कम से कम एक सीट यथा स्थिति नियमानुसार

महिला वर्ग से भरा जाये।)

11. वर्ग (अ), (ब) एवं (स) के आवेदकों ने विगत तीन वर्षों में तीन माह से अधिक समयावधि का एक से अधिक प्रशिक्षण शासकीय खर्च पर न लिया हो। परीवीक्षा अविधि में कार्यरत व्याख्याता (पंचायत) व शिक्षक (पंचायत) के आवेदन का प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

12. चयन का आधार सीधी भर्ती के लिए बी.एड. के प्राप्तांक एवं विभागीय आवेदकों के लिए वरिष्ठता रहेगी। उम्मीदवारों के वरिष्ठता समान होने की स्थिति में अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी। आयु की समानता होने की स्थिति में बी.एड. के प्राप्तांकों के आधार पर चयन किया जायेगा। सीधी भर्ती हेतु प्राप्तांक समान होने पर अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी।

13. अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के आवेदक के लिए उनके द्वारा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र देना होगा तभी उनके आवेदन को मान्य किया जायेगा।

14. अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के आवेदक अपने संस्था प्रमुख से स्टाम्प पेपर पर कार्यरत है इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि :-

(1) वर्ग (अ) एवं (ब) के लिए -

स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आवेदकों को प्रवेश हेतु निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र अपनी संस्था प्रमुख से अग्रेषित करना होगा। संस्था प्रमुख आवेदन को अग्रेषित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दिनांक 15.05.13 तक भेजेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आवेदन को चेकलिस्ट अनुसार परीक्षण कर अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन पत्र संबंधित शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्यों को दिनांक 30.05.13 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करेंगे। आवेदकों द्वारा एक अग्रिम प्रति सीधे महाविद्यालय भेजा जा सकता है परन्तु जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त से अग्रेषित आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा। शासकीय शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यरत आवेदक अपने संस्था प्रमुख के द्वारा आवेदन को अग्रेषित कराकर जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त के माध्यम से ही आवेदन पत्र संबंधित शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रेषित करेंगे।

व्याख्याता (पंचायत) व शिक्षक (पंचायत) अपने आवेदन को जिला शिक्षा अधिकारी /सहायक आयुक्त कार्यालय में जमा करने से पहले आवेदन को संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से अग्रेषित करायेंगे तथा मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/जिला पंचायत (जो लागू हो) से प्रति हस्ताक्षर करायेंगे।

शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर के संबद्ध शिक्षा जिला :-

1. रायपुर
2. महासमुंद
3. दुर्ग
4. राजनांदगांव
5. कवर्धा
6. बस्तर
7. दंतेवाड़ा
8. धमतरी
9. कांकेर
10. बेमेतरा
11. बलौदाबाजार
12. बालोद
13. गरियाबंद
14. सुकमा
15. बीजापुर
16. कोण्डागांव
17. नारायणपुर ।

उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान, बिलासपुर के संबद्ध शिक्षा जिला :-

1. बिलासपुर
2. कोरबा
3. जांजगीर
4. रायगढ़
5. जशपुर
6. सरगुजा
7. सूरजपुर
8. बलरामपुर
9. कोरिया
10. मुंगेली

एम.एड. में प्रवेश हेतु शिक्षा महाविद्यालय से संबंधित जिलों से प्राप्त आवेदनों को वरिष्ठता के आधार पर उपलब्ध सीटों पर चयन किया जावेगा।

(2) वर्ग (स) के लिए :-

अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं/संस्थाओं के आवेदक अपना आवेदन पत्र अपनी संस्था के प्राचार्य से अग्रेषित कराकर दिनांक 15.05.13 तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भेजें। जिला शिक्षा अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करके उपरोक्तानुसार संबंधित शिक्षा महाविद्यालय की ओर दिनांक 30.05.13 तक भेजेंगे।

(3) वर्ग (द) के लिए :-

सीधी भर्ती हेतु आवेदक जिस भी शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था में प्रवेश लेना चाहते हैं वे बी.एड. की वि.वि. परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 7 दिवस के अंदर संबंधित संस्था के प्राचार्य को अपना आवेदन पत्र जमा करेंगे।

(4) आवेदन पत्र के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.एड. तथा आयु संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियाँ भी आवेदकों को संलग्न करनी है। सीधी भर्ती के आवेदकों को सक्षम अधिकारी जो तहसीलदार से अनिम्न पद का हो,द्वारा प्रमाणित छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के लिए) आचरण प्रमाण पत्र एवं टी.सी. मूलतः संलग्न करना है।

- (5) कार्यालय संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर को सीधे भेजे गये किसी भी श्रेणी के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (6) प्रत्येक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय द्वारा अपने क्षेत्र के आवेदकों से प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जावेगा।
- (7) विभागीय सीटों के लिए निर्धारित दिनांक 15.05.13 के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं सीधी भर्ती के लिए बी.एड. विश्वविद्यालय के परिणाम घोषित होने के सात दिवस के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- (8) चयन समिति में संचालक, के द्वारा नामित दो प्रतिनिधि होंगे शेष प्रतिनिधि में से एक – एक आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (सहायक विकास आयुक्त से अन्यून), शिक्षा विभाग से स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी सम्मिलित किये जायेंगे।
- (9) चयन सूची को एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट में जारी करने के लिए चयन सूची व सभी प्रतीक्षा सूची को चयन सूची जारी करने के दिवस को ही एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर को भेजना होगा तथा ई-मेल पता scertcg@gmail.com पर ई-मेल करना होगा। शिक्षक अपना चयन SCERT के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में भी देख सकते हैं।

(10) अग्रेषणकर्ता अधिकारी के लिए चेक लिस्ट –

- आवेदक के आयु 01.07.2013 तक 55 वर्ष से अधिक न हो।
- लगातार शासकीय व्यय पर 06 माह से अधिक का प्रशिक्षण न प्राप्त किया हो।
- एक स्कूल से एक से अधिक शिक्षकों /पंचायत विभाग के शिक्षकों का आवेदन प्राप्त होने पर पात्र वरिष्ठ का आवेदन अग्रेषित करें।
- आवेदक के विरुद्ध कोई जांच /आपराधिक मामला /दण्ड/निलंबन की कार्यवाही लम्बित न हो।
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं करने पर अग्रेषण न करें। इस हेतु आदेश तथा सेवा पुस्तिका की उस पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें पदभार ग्रहण करने का दिवस अंकित हो संलग्न करना आवश्यक है।
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ विभाग में प्रथम नियुक्ति तिथि से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं करने पर आवेदन का अग्रेषित न करें।
- पंचायत विभाग के शिक्षकों वाले प्रकरण में संविदा शिक्षक व शिक्षा कर्मी पद में नियुक्ति की तिथि पृथक-पृथक अंकित किया है या नहीं।
- बी.एड. में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण ही पात्र होंगे।
- SC/ST/OBC वर्ग जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- परीक्षा अविधि में कार्यरत शिक्षकों के आवेदन को अग्रेषित नहीं करना है।

प्रवेश के समय चाहे गये प्रमाण-पत्र पूर्ण सही व नियमानुसार पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी। मूल प्रमाण-पत्र की जांच प्रवेश देते समय संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा किया जावेगा। जांच के दौरान प्रमाण-पत्र सही व नियमानुसार न पाये जाने पर आवेदक को प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी और संबंधित प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।

(अनिल राय)
संचालक


एस.सी.ई.आर.टी.छत्तीसगढ़ रायपुर

एम.एड. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र
सत्र 2013-14

प्रति,

प्राचार्य,

01. शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर
02. उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान, बिलासपुर
03. कल्याण महाविद्यालय, से0-7, भिलाई नगर



विषय: एम.एड.प्रवेश हेतु सत्र 2013-14 आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम (उपनाम सहित) :
2. ई मेल :
3. टेलीफोन एवं मोबाइल नंबर :
4. पद (यदि सेवारत हो तो) :
5. विभाग स्कूल शिक्षा/ आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग /अनुदान प्राप्त अशासकीय शाला/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/अन्य:
6. कार्यरत संस्था का नाम व पता :
- फोन नंबर :
7. क्या आप सीधी भर्ती के आवेदक हैं? हाँ/नहीं :
8. (अ) क्या आप अनुदान प्राप्त अशासकीय शाला/संस्थान में सेवारत हैं? हाँ/नहीं
- (ब) यदि हाँ तो क्या आप ने अपनी संस्था की प्रबंधन समिति का विज्ञापन की कंडिका क्रमांक 5-4 (क) में वर्णित प्रमाण-पत्र संलग्न हैं? हाँ/नहीं :
9. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	उपाधि का नाम	वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत	मा.शि.मं./वि.वि. का नाम एवं जहां से उपाधि प्राप्त की है	विशेष
1.	माध्यमिक					
2.	उच्चतर माध्यमिक					
3.	स्नातक					
4.	स्नातकोत्तर					
5.	बी.एड.					
6.	पी.एच.डी./अन्य					

(अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें)

10. शासकीय सेवा के आवेदकों के लिए—
 - (अ) वर्तमान पद :
 - (ब) पद पर नियमित/स्थायी है अथवा नहीं (स्पष्ट करें):
11. जन्म तिथि (अंकों में): (शब्दों में) :
- (जन्म तिथि हेतु आयु संबंधी प्रमाण-पत्र)
12. दिनांक 01.07.13 को आयु: वर्षमाह.....दिन.....
13. नियुक्ति दिनांक :(अ) प्रथम नियुक्ति दिनांकपद.....
- (ब) वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांकपद

प्रथम नियुक्ति व वर्तमान पद में नियुक्ति का आदेश की छाया प्रति आवश्यक रूप से आवेदन में संलग्न करना होगा अन्यथा ऐसा नहीं करने पर पर आपके आवेदन को निरस्त किया जावेगा तथा यदि सीधी भर्ती से नियुक्त है तो पदभार ग्रहण करने का दिनांक अंकित करें।

सेवा पुस्तिका की उस पृष्ठ की छायाप्रति भी संलग्न करें जिसमें पदभार ग्रहण करने का दिनांक अंकित हो।

14. विभागीय आवेदकों के लिए कंडिका 5 (11) के अनुसार विगत तीन वर्षों में शासकीय व्यय पर किये प्रशिक्षण की अवधि एवं विवरण:

क्रमांक	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	स्थल

15. क्या एम.एड.पाठ्यक्रम के लिए 5 (9) के अनुसार विगत दो वर्षों की अवधि में प्रवेश हेतु चयन किया था?

यदि हाँ तो चयन के पश्चात् प्रवेश न लेने अथवा प्रवेश लेकर पाठ्यक्रम अपूर्ण छोड़ देने के कारणों का विवरण दें।

16. निम्नलिखित में से जिसका सत्य प्रतिलिपि संलग्न हो उनके सामने सही का चिन्ह (✓) लगायें।

- (1) माध्यमिक शाला की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
- (2) उच्चतर माध्यमिक शाला की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
- (3) स्नातक की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
- (4) स्नातकोत्तर की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
- (5) बी.एड. की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
- (6) पी.एच.डी. की उपाधि की सत्य प्रतिलिपि।
- (7) छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र की सत्य प्रतिलिपि।
- (8) जाति प्रमाण-पत्र [(केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के सीधी भर्ती के आवेदकों के लिए)] की सत्य प्रतिलिपि।
- (9) विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/पूर्व सैनिक एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पाल्य होने का प्रमाण-पत्र।
- (10) आचरण प्रमाण-पत्र की सत्य प्रतिलिपि। (विभागीय शिक्षकों के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।)
- (11) राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि।
- (12) नियुक्ति आदेश शासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए।
- (13) सेवा पुस्तिका की छायाप्रति जिसमें पदभार ग्रहण करने दिवस अंकित हो।

17. क्षेत्र की संस्था का नाम जहाँ के लिए पात्र हैं:

18. दी गई जानकारी की सत्यता का प्रमाणीकरण:

मैंयह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। गलत पाये जाने पर मुझे प्रवेश से वंचित किया जाना स्वीकार है। मैं संस्था तथा विश्वविद्यालय के नियमों का पूर्ण निष्ठा से पालन करूँगा/करूँगी। मैंने सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियाँ आवेदन पत्र में संलग्न कर दी हैं। यदि एम.एड. प्रशिक्षण हेतु मेरा चयन होता है तो मैं निर्धारित संस्था में पूरे सत्र प्रशिक्षण प्राप्त करूँगा/करूँगी।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

नाम

पद

पता

(जिस पर पत्र व्यवहार किया जा सके)

19. शिक्षक आवेदक के लिए अग्रेषणकर्ता का प्रमाण-पत्र :
प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारीयों का उसके अभिलेख से मिलान कर लिया गया है और वे सही पायी गई है। आवेदक संस्था में गत वर्ष से पद पर पदांकित है। आवेदक का कार्य व व्यवहार हैं।

दिनांक

अग्रेषणकर्ता के हस्ताक्षर
पद मुद्रा

20. स्कूल शिक्षा विभाग/अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय के आवेदक के लिए जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाण पत्र:
प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारीयों विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं की पूर्ति करती है। आवेदक स्कूल शिक्षा विभाग/अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं/संस्थान में पद पर कार्यरत हैं तथा नियमित पद पर हैं।

दिनांक

प्रति हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी
पद मुद्रा

21. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के विद्यालयों के आवेदकों के लिए:
प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारीयों का विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं से मिलान कर लिया गया है। आवेदक वांछित अर्हताओं की पूर्ति करता है। आवेदक अजा, अजजा, अपिव एवं अ.क.विभाग में पद पर कार्यरत हैं।

प्रति हस्ताक्षर
सहायक आयुक्त
अ.जा., अ.ज.जा., पि.वर्ग एवं अ.क.विभाग
पद मुद्रासंभाग (छ.ग.)

22. पंचायत विभाग के कर्मचारी के लिए प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन द्वारा दी गई जानकारीयां विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं की पूर्ति करता है। आवेदक पंचायत विभाग के अन्तर्गतशाला मेंपद पर कार्यरत है तथा उक्त पद पर नियुक्ति दिनांकहै।

प्रति हस्ताक्षर
मुख्यकार्यपालन अधिकारी
जिला /जनपद पंचायत
पद मुद्रा

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
पद मुद्रा

23. अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के आवेदक के लिए निम्नलिखित प्रारूप में शपथ पत्र देना होगा। (शपथ पत्र 50 रूपये के स्टाम्प पर नोटरी कराकर देना अनिवार्य होगा)

मैंपिता.....उम्र..... दिनांक
सेतक संस्था में
 पद पर कार्यरत हूँ। इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद 6 साल तक इसी संस्था में कार्य करता रहूंगा। एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर तथा शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर के सदस्य इस 6 साल की अवधि में मेरे संस्था में आकर इसकी जांच कर सकेंगे। इस पर मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर एवं पता

गवाह के हस्ताक्षर तथा पता

1.

2.

24. अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था के आवेदक के संस्था प्रमुख से निम्नलिखित प्रारूप में प्रमाण पत्र 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर देना होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पिता ..
पता मेरी संस्था में
 सेतक कार्यरत है। मेरी संस्था को सत्र से शासन से अनुदान प्राप्त है।

उक्त आवेदक एम.एड.प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लगातार 6 वर्षों तक मेरी संस्था में कार्य करते रहेंगे।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम

पता